2010 **का विधेयक सं.**18

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 2009 **क़े राजस्थान अधिनियम सं.** 18 **क़ी धारा** 6 **का संशोधन.-**राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), ज़िसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगर निगम के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में पांच व्यक्ति और नगरपालिक बोर्ड के मामले में चार व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये:"।

3. 2009 **क़े राजस्थान अधिनियम सं** 18 **क़ी धारा** 48 **का संशोधन.-**मूल अधिनियम की धारा 48 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) जहां नगरपालिका या इसकी समितियों में से किसी भी समिति का कोई भी संकल्प नगरपालिका के हितों के विरुद्ध हो या इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत हो तो वहां अध्यक्ष, ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित करेगा और उस मामले को राज्य सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे संकल्प पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और उस नगरपालिका के लिए आबद्धकर होगा।"।

4. 2009 **क़े राजस्थान अधिनियम सं** 18 **क़ी धारा** 238 **का संशोधन.-**मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 238 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"238 वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.-(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं .....) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) नगरपालिका धारा 194 के अधीन कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था नहीं करता और ऐसी प्रणाली स्थापित करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टंकी को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंत:स्रवण के लिए वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

5. धारा 238-**क का अन्त:स्थापन.-**मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 238 के पश्चात्, और धारा 239 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"238-क पार्किंग स्थान का उपबंध-(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. .....) क़े प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) नगरपालिका, धारा 194 के अधीन कोई अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति, उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन यथाविहित पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था नहीं कर देता और ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरपालिकाएं आरंभिक स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के लिए निर्वाचित अधिकांश सदस्य युवा हैं और नगरपालिक प्रशासन में अधिक अनुभव नहीं रखते हैं। इसलिए, यह महसूस किया गया कि नगरपालिका की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए, नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये। यह भी समुचित समझा गया कि नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या नगरपालिका के विभिन्न स्तरों पर समान हो। तदनुसार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 संशोधित की जानी प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि राज्य सरकार निगम में ऐसे छह व्यक्ति, नगर परिषद में ऐसे पांच व्यक्ति और नगरपालिक बोर्ड में ऐसे चार व्यक्ति नामनिर्देशित करेगी।

वर्तमान में नगरपालिका के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जा रहे हैं और वे समस्त नगरपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं और नगरपालिका की कार्रवाईयों के लिए निर्वाचक मंडल के संपूर्ण निकाय के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, अध्यक्ष का उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए, उसको नगरपालिका के समस्त संकल्पों की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए सशक्त करना समुचित समझा गया और यदि वह समझता है कि नगरपालिका का कोई भी संकल्प नगरपालिका के हित के विरूद्ध है या नगरपालिका अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है तो उसे ऐसे संकल्पों को उन पर अपनी राय सहित, राज्य सरकार को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त होना चाहिए। तदनुसार, धारा 48 में इस आशय का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य में लगातार कम वर्षा होने के कारण भू-जल की अत्यंत कमी है। भू-जल स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करके वर्षा जल के संग्रहण के उपायों को अपनाना आवश्यक है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित की जायेगी। किसी ऐसे विशिष्ट क्षेत्र

को, जो राज्य सरकार की राय में उस क्षेत्र के भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी जल संग्रहण प्रणाली के लिए समुचित नहीं है, जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करने से छूट देने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त करना भी समुचित समझा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहता है तो वह ऐसे कारावास से, जो सात दिन तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना और ऐसी प्रणाली स्थापित किये बिना कोई भी स्थायी जल-संबंध अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तदनुसार, अधिनियम की धारा 238 प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

भवन में अपेक्षित पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं कराना भवन के स्वामियों की सामान्य प्रवृत्ति है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में पार्किंग स्थान की व्यवस्था न की गयी हो तब तक विकास के लिए अनुज्ञा मंजूर नहीं की जायेगी और पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना और पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना किसी भी भवन को अधिभोग में नहीं लिया जायेगा और पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा और भवन में पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना कोई भी स्थायी जल-संबंध अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, किसी भवन या भवनों के वर्ग को पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करने के लिए भी राज्य सरकार को सशक्त करना समुचित समझा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा। तदनुसार, अधिनियम में एक नयी धारा 238-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर राज्य सरकार को वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के प्रकार और विशिष्टियां विहित करने और भवन जिसके लिए वर्षा जल संरक्षण प्रणाली अनिवार्य है, के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खंड 5, जो पूर्वोक्त अधिनियम में एक नयी धारा 238-क अंत:स्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर राज्य सरकार को पार्किंग स्थल विहित करने और भवन जिसके लिए पार्किंग स्थल अनिवार्य है, के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx

6 **नगरपालिका की संरचना**- (1) उत्तरवर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किन्तु इस उप-धारा के आगामी उपबंधों में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। ऐसे स्थानों की संख्या, जो तेरह से कम नहीं होगी, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायेगी:-

(क) नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात्:-

(i) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र पूर्णत: या भागत: समाविष्ट हो, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधान सभा का सदस्य; और

(ii) नगरपालिक प्रशासन का विषेश ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति या नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का दस प्रतिशत**,** इनमें से जो भी कम हो**,** जिन्हें राज्य सरकार द्वारा**,** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा**,** नामनिर्दिष्ट किया जाये:

परन्तु -

(i) धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों या नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे;

(ii) राज्य सरकार को किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहृत करने की शक्ति होगी;

(iii) नामनिर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) xx xx xx xx

(2) **से (**9) xx xx xx

xx xx xx xx

48 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य-(1) नगरपालिका के अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) धारा 58 में यथा-उपबंधित रूप में नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना;

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना और धारा 337 की उप-धारा (2) के खण्ड (xiii) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना;

(ग) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार विनिर्दिष्ट रूप से उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियाेंं का प्रयोग करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जायें।

(2) नगरपालिका का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यक्ष उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित करे। उपाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगे:-

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और जब तक युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और जब इस प्रकार अध्यक्षता कर रहा हो, उसी

प्राधिकार का प्रयोग करना जो उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन अध्यक्ष में निहित है; और

(ख) अध्यक्ष के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना।

xx xx xx xx

238 वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध-**(1)** सरकार, या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कानूनी निकाय या कम्पनी या संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त प्रत्येक भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना सरकार द्वारा या ऐसे कानूनी निकाय, या कम्पनी या, यथास्थिति, संस्था द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, उपलब्ध करवायी जायेगी।

(2) उप-धारा (**1**) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी भवन का स्वामी या अधिभोगी, भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर, जो उप-विधियों में या अन्यथा विहित की जाये, उपलब्ध करायेगा।

स्पष्टीकरण- जहां कोई भवन एक से अधिक व्यक्ति द्वारा स्वामित्वाधीन या अधिभुक्त हों वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन दायी होगा।

(3) ऐसी किसी कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जाये, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां भवन का स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (**2**) के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर उस भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।

(4) किसी लोक जलप्रदाय प्रणाली से, नवनिर्मित भवन में कोई भी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी संबंधित नगरपालिका का इस आ6ाय का

प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे कि उस भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करा दी गयी है।

xx xx xx xx

Bill No. 18 of 2010

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) six persons in case of Municipal Corporation, five persons in case of Municipal Council and four persons in case of Municipal Board, having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette: ".

3. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing sub-section (1) of section 48 of the

principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(1A) Where any resolution of a Municipality or of any of its committees is against the interest of the Municipality or inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Chairperson shall record his opinion on such resolution and refer the matter to the State Government for its decision and the decision of the State Government on such resolution shall be final and binding on the Municipality.".

4. Amendment of section 238, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 238 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**238. Provision of rain water harvesting.-**(1) In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No..… of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to

install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank, constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

5. Insertion of section 238-A.-After section 238, amended as aforesaid, and before section 239 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"238-A. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in a municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No..… of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for parking space as prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Municipalities are grass root level democratic institutions. Most of the members elected to these institutions are young and do not have much experience in municipal administration. Therefore, it is felt that to assist and advice the municipality number of nominated members having special knowledge and experience in municipal administration be increased. It is also considered appropriate that number of nominated members at different levels of the municipality should be similar. Accordingly section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 is proposed to be amended, so as to provide that the State Government shall nominate six such persons in Municipal Corporation, five such persons in Municipal Council and four such persons in Municipal Board.

Chairpersons of the municipalities are now being elected directly and represent the whole municipality and are responsible to the whole body of electorate for the actions of the municipality. As such the responsibility of the Chairperson has increased considerably. Therefore, it is considered appropriate to empower him to over see and supervise all the resolutions of the municipality and if he considers that any resolution of the municipality is against the interest of the municipality or is inconsistent with the provisions of the Municipal Act or the rules made thereunder, he should be empowered to refer such resolutions to the State Government alongwith his opinion thereon. Accordingly a provision is proposed to be made in section 48 to that effect.

The State Government has felt that due to short fall of rain in the State there is acute shortage of ground water. In order to increase level of ground water it is necessary to adopt measures for

rain water harvesting by installing water harvesting system. Therefore, it is proposed that in every building constructed on a plot of area exceeding three hundred square metres water harvesting system shall be compulsorily installed having regard to the area and use of land. It is also considered appropriate to empower the State Government to exempt particular area from installing water harvesting system which, in the opinion of the State, is not appropriate for such system having regard to the ground water level. If any person fails to install such system shall be punished with the imprisonment which may extend to seven days or with fine which may extend to one lakh rupees or with both. Apart from this it is also proposed that without obtaining completion certificate and installation of such system no permanent water connection shall be permitted. Accordingly, a new section 238 is proposed to be substituted in the Act.

It is general tendency of owners of buildings not to provide required parking space in a building. Therefore, it is also proposed that unless provision for parking space has been made in site plan and maps permission for development shall not be granted and no building shall be occupied without obtaining completion certificate and without providing parking space and any development made or continued shall deemed to be an unauthorized development and no permanent water connection shall be permitted in building without providing parking space. It is also considered appropriate to empower the State Government to exempt any building or class of buildings from providing parking space having regard to the area of land and situation and use of building. If any person fails to provide parking space shall be punished with imprisonment which may extend to seven days or with fine of rupees twenty five thousand which may extend to one lakh rupees or with both. Accordingly, a new section 238-A is proposed to be inserted in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, which seeks to substitute section 238 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, if enacted, shall empower the State Government to prescribe type and specifications of rain water harvesting system and the manner in which completion certificate shall be obtained with regard to the buildings for which installation of rain water harvesting system is compulsory under the aforesaid section 238.

Clause 5 of the Bill, which seeks to insert new section 238-A in the aforesaid Act, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the parking space and the manner in which completion certificate shall be obtained with regard to the buildings for provision of parking space is compulsory under the aforesaid section 238-A .

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शांति धारीवाल,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

(Act No.18 of 2009)

XX XX XX XX

6. Composition of Municipality.- (1) Subject to the provisions contained in the succeeding sub-sections, but save as provided in the following provisions of this sub-section, all seats in a Municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies known as wards, the number of such seats, not being less than thirteen, being fixed by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette: -

(a) the following shall represent in the Municipal Board, Municipal Council or, as the case may be, Municipal Corporation, viz.: -

(i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly representing a constituency which comprises wholly or partly the area of a Municipality; and

(ii) three persons or ten percent of the number of elected members of the Municipality, whichever is less, having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette:

Provided that—

(i) the provisions contained in section 24 and section 35 shall be applicable to the persons to be nominated or nominated members;

(ii) the State Government shall have power to withdraw a nominated member at any time;

(iii) a nominated member shall not have the right to vote in the meetings of a Municipality;

(b) XX XX XX XX.

(2) to (9) XX XX XX XX

XX XX XX XX

48. Functions of Chairperson and Vice-Chairperson.- (1) It shall be the duty of the Chairperson of a Municipality -

(a) to convene regular meetings of the Municipality as provided in section 58;

(b) to preside unless prevented by reasonable cause, at all meetings of the Municipality and subject to the provisions of the rules for the time being in force under clause (xiii) of sub-section (2) of section 337, to regulate the conduct of business at such meetings;

(c) watch over the financial and executive municipal administration of the Municipality;

(d) to perform all the duties and exercise all the powers specifically imposed or conferred upon him under and in accordance with Act; and

(e) to perform such other executive functions as may be prescribed.

(2) The Vice-Chairperson of a Municipality shall exercise such of the powers and perform such of the duties of the Chairperson as the Chairperson from time to time delegates to him. It shall also be the duty of the Vice-Chairperson-

(a) in the absence of the Chairperson and unless prevented by reasonable cause, to preside at the meeting of the Municipality and when so presiding to exercise the same authority as is vested in the Chairperson under clauses (a) and (b) of sub- section (1); and

(b) during the absence of a Chairperson on leave, to exercise the powers and perform the duties of the Chairperson.

XX XX XX XX

238. Provision of rain water harvesting structure.- (1) In every building owned or occupied by the Government or a statutory body or a company or an institution owned or controlled by the Government, rain water harvesting structure shall be provided by the Government or by such statutory body or company or institution, as the case may be, in such manner and within such time as may be prescribed.

(2) Every owner or occupier of a building other than that referred to in sub-section (1) shall provide rain water harvesting structure in the building in such manner and within such period as may be prescribed in the bye-laws or otherwise.

Explanation.- Where a building is owned or occupied by more than one person, every such person shall be liable under this sub-section.

(3) Without prejudice to any action that may be taken under the provisions of this Act, where the owner or occupier of the building fails to provide the rain water harvesting structure in the building within the period prescribed under sub-section (2), he shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than rupees ten thousand but which may extend to rupees twenty thousand.

(4) No water connection from any public water supply system shall be permitted in newly constructed building unless the owner or occupier thereof produces a certificate from the concerned Municipality to the effect that rain water harvesting structure has been provided in the building.

XX XX XX XX

2010 का विधेयक सं 18

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

एच.आर कुड़ी,
सचिव।

(शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 18 of 2010

THE RAJASTHAN MUNICIPALITES (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

———

A

Bill

to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009

———

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

———

H. R. KURI,
Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, **Minister Incharge**)